03.02.2021	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर को जरिये नोटिस क्रमांक आर.टी.आई./20/1230 दिनांक 15.10.2020 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जावे तथा अपील का बिन्दुवार उत्तर दिनांक 19.11.2020 से पूर्व भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रार्थी द्वारा अपील में अंकित किया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर, जयपुर के समक्ष दिनांक 04.08.2020 को सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी, जिसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) एवं प्रभारी अधिकारी (पंचायत), जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित सूचना की विषय वस्तु का संबंध उपखण्ड अधिकारी, चौमू से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर (द्वितीय), जयपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत

.आइ. अपील सं0 : 15/2020

ांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
02.2021	लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आमेर को अपीलार्थी का आवेदन पत्र अन्तरित किया गया। अन्तरण पश्चात् निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 15.10.2020 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपील इस न्यायालय में दिनांक 15.10.2020 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कराया जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू को नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा उनके पत्रांक लो.सू./आर.ए.3/2020/2327 दिनांक 23.10.2020 के द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक लो.सू./2020/2829 दिनांक 11.09.2020 द्वारा सूचना उपलब्ध करा दी गई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया। 03.2.21 (डॉ. अशोक कुमार) प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अति. कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर